रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2019/आश्विन 3, 1941

No. 566] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2019/ ASVINA 3, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2019

सं. 38/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 691(अ).— जहां कि ब्राजील, चीन और जर्मनी (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "नॉन कोबाल्ट ग्रेड के हाई स्पीड स्टील" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7228 10 10 या 7228 10 90 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 6/23/2018-डीजीएडी, दिनांक 1 अगस्त, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि –

(क) विषयगत उत्पाद भारत को विषयगत देशों से सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किया गया था, जिसके कारण यहां इस उत्पाद की भरमार हो गई।

(ख) विषयगत देशों से आयातित इस विषयगत उत्पाद के सस्ते होने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है।

(ग) यह सारवान क्षति विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के सस्ते आयात के कारण हुई है।

और विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर निश्चयात्मक 'प्रतिपाटन शुल्क' लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की

उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद के अंतर्गत आती है जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (7) में उल्लिखित माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	उत्पादक	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	7228 10 10 या 7228 10 90	"नॉन कोबाल्ट ग्रेड हाई स्पीड स्टील के बार्स और राड्स, जिनका व्यास 4 मि.मी. से 163 मि.मी. तक हो और जिनमें तीन तत्व यथा मोलीब्डेनम, टंगस्टन और वेनाडियम शामिल हों जिनमें टंगस्टन और मोलीब्डेनम का संयोजन 4% - 11.5% के बीच हो और वेनाडियम अधिकतम 3.5% और कार्बन अवयव 0.7%- 1.3% के बीच तथा क्रोमियम 3.5% - 4.6% के बीच हो".	चीन	हेई स्पेशल स्टील कंपनी लिमिटेड	1902.34	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2	-तदैव-	-तदैव-	चीन	जिआंगसू तिआंगोंग टूल्स कंपनी लिमिटेड	2275.64	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3	-तदैव-	-तदैव-	चीन	क्रम संख्या 1 और 2 से भिन्न कोई अन्य उत्पादक	3263.68	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4	-तदैव-	-तदैव-	ब्राजील	कोई भी	2147.22	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5	-तदैव-	-तदैव-	जर्मनी	कोई भी	2259.22	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

नोट: उपर्युक्त वस्तुओं से भिन्न शीट्स, प्लैट्स और क्वायल्स समेत अन्य वस्तुओं को उक्त प्रतिपाटन शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा. सं. 354/128/2019-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2019

No. 38/2019–Customs (ADD)

G.S.R. 691(E).—Whereas, in the matter of "High -Speed Steel of Non-Cobalt Grade" (hereafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 7228 10 10 or 7228 10 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereafter in this notification referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Brazil, China and Germany (hereinafter in this notification referred to as the subject countries), and imported into India, the Designated Authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 6/23/2018-DGTR dated, the 1st August, 2019 has come to the conclusion that-

(a) the subject goods have been exported to India from subject countries below its normal value, thus resulting in dumping of the product;

(b) the domestic industry has suffered material injury due to dumping of the subject goods from the subject countries; and

(c) the material injury has been caused by the dumped imports from the subject countries,

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported, from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in or exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (4), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (5), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (6) in the currency as specified in the corresponding entry ion column (8) and as per unit of measurement as specified in column (7), of the said Table, namely:-

TABLE

S. No	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Producer	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	7228 10 10 or 7228 10 90	Bars and rods of Non-Cobalt Grade High Speed Steel of diameter from 4mm to 163mm having three elements i.e., Molybdenum, Tungsten and Vanadium, with combination of Tungsten and Molybdenum between 4% - 11.5% and maximum 3.5% of Vanadium. The Carbon content should be between 0.7 % - 1.3% and Chromium between 3.5% - 4.6%	China	Heye Special Steel Company Limited	1902.34	Metric Tonne	US Dollar
2	-do	-do	China	Jiangsu Tiangong Tools Company Limited	2275.64	Metric Tonne	US Dollar
3	-do	-do	China	Any other producer other than serial number 1 and 2	3263.68	Metric Tonne	US Dollar
4	-do	-do	Brazil	Any	2147.22	Metric Tonne	US Dollar
5	-do	-do	Germany	Any	2259.22	Metric Tonne	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation – For the purposes of this notification, the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 354/128/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.09.26 16:44:44 +05'30'